निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 885) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

ty lalk/ku foHkkx

अधिसूचना
15 tu 2015

सं० 22/नि0सि0(डि0)–14–09/2013/1340—मुख्य अभियंता, डिहरी के परिक्षेत्राधीन, सोन नहर प्रमंडल आरा के निविदा सूचना संख्या–01/12–13 द्वारा 05.10.2012 को मुख्य अभियंता स्तर से निष्पादित निविदा (ग्रुप संख्या–1, 2, 3, 7 एवं 8) के विरूद्ध माँ ताराचण्डी प्रा0 लि0, कैमूर एवं गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, आरा से प्राप्त परिवाद की समीक्षा हेतु विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 07.01.2013 एवं 30.01.2013 को हुई। विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा निस्तार में बरती गई अनियमितता में सम्मिलित सभी दोषी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–4483), सोन नहर प्रमंडल, आरा से विभागीय पत्रांक–740 दिनांक 28. 06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिया गया –

मुख्य अभियंता स्तर से निष्पादित निविदा आमंत्रण सूचना संख्या––02/12–13 के ग्रुप संख्या– 1, 2, 3, 7 एवं 8 में प्राप्त परिवाद के आलोक में निस्तारित निविदाओं में विभागीय स्तर पर जाँच हेतु समर्पित किया गया है। N I T – 01/11–12 का निविदा अभिलेख विभागीय निविदा समिति को समर्पित नहीं किया गया है।

E-tendering–निविदा निस्तार में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनियमितता के संबंध में कहना है कि महालेखाकार, बिहार द्वारा पदस्थापित प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी जो वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हेतु कार्यरत है, के द्वारा निविदा में मूलतः प्राप्त अभिलेख एवं परिमाण विपत्र के मूल के आधार पर तकनीकी बीड को बैध करते हुए S B D की शर्त्तों एवं उपबंधों के अनुसार भली–भाँति जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को समर्पित किया गया, चूँकि मेरी (श्री राम) समझ में सभी निविदादाता सफल थे।

विदित हो कि इस प्रमंडल के लिए प्रथम E-tendering निविदा था। यहाँ तक समझ में था अभिलेखों की जाँच की गई परन्तु विभाग द्वारा सभी ग्रुपों में कुछ–न–कुछ अनियमितता जताई गई क्योंकि विभाग सर्वोपरि है नहीं तो यह बिल्कुल सत्य है कि ग्रुप संख्या–3 में गंगाधर नारायणी द्वारा परिमाण विपत्र का मूल्य स्कैन कर नहीं लाया था लेकिन बाद में स्कैन कहाँ से आया यह तो आध्यात्मिक शक्ति ही जानता है। मैंने अपने स्तर से जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है लेकिन गलती मानना या न मानना यह तो विभाग का विशेषाधिकार है। ऐसी स्थिति में पाँचों ग्रुप में विभाग द्वारा कुछ–न–कुछ अनियमितता जताते हुए मुख्य अभियंता की निविदा समिति के निर्णय को अनियमित करार देते हुए सभी निविदा को रद्द कर दिया गया। जबकि विभागीय हित में सफल निविदादाता को कार्य आवंटित न कर पुर्ननिविदा हेतु ओदश निर्गत किया गया। जिसके चलते खरीफ पटवन में नहरों के सुचारू संचालन में कतिपय

कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। निविदा निष्पादन में जान बूझकर कोई गलती नहीं की गई, जो मुझे सही समझ में आया उसी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया था। अतः अनुरोध है कि अनियमितता के आरोप से मुक्त किया जाय।

श्री राम द्वारा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि N I T संख्या– 02/12–13 के परिवाद से संबंधित निविदा दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराया गया था एवं विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा N I T – 02/12–13 के परिवादित ग्रुपों की समीक्षा की गई है। अतएव प्रस्तुत मामले में N I T संख्या– 02/12–13 के परिवादित ग्रुपों के स्पष्टीकरण को यथा संशोधित मान कर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री राम द्वारा ग्रुपवार स्पष्टीकरण न देकर समेकित रूप से अंकित किया गया है कि महालेखाकार, बिहार द्वारा पदस्थापित प्रमंडलीय लेखापाल द्वारा S B D की शर्त्तों एवं उपबंधों के अनुसार जाँच कर तकनीकी बीड को बैध करते हुए अनुशंसा के साथ उच्चाधिकारियों को समर्पित किया गया चूँकि इनकी (श्री राम) समझ में सभी निविदादाता सफल थे। प्रथम E-tendering के कारण जहाँ तक समझ थी अभिलेखों की जाँच की गई। फिर भी विभाग द्वारा सभी ग्रुपों में अनियमिततता जताई गई। जान बूझकर कोई गलती नहीं की गई बल्कि जो सही समझ में आया उसी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया था।

विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता की निविदा समिति जिसके आरोपित पदाधिकारी सदस्य है द्वारा निविदा का निष्पादन सही नहीं पाया गया। श्री राम, कार्यपालक अभियंता होने के कारण मुख्य अभियंता की निविदा समिति के सदस्य एवं उपस्थान पदाधिकारी हैं। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा निष्पादन में श्री राम द्वारा निविदा शर्त्तों के अनुसार संगत अभिलेखों से मिलान नहीं किए जाने का बोध होता है जिसके कारण निविदा निष्पादन में अनियमितता पाई गई। श्री राम द्वारा कहा गया है कि अपनी समझ से जाँच पड़ताल कर अग्रसारित किया गया लेकिन यह स्वीकार योग्य नहीं है कि अपनी पूर्ण जानकारी में निविदा दस्तावेज से मिलान कर तकनीकी बीड को सफल पाया गया जो बाद में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा असफल पाया गया। इस प्रकार श्री राम निविदा निष्पादन में बरती गई अनियमितता के लिए दोषी हैं।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–4483), सोन नहर प्रमंडल, आरा के विरूद्ध निविदा निष्पादन में बरती गई अनियमितता के प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर से निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है–

(1) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंयता (आई0 डी0–4483), सोन नहर प्रमंडल, आरा को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः–

(1) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 885-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in